कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1631/मैनपुरी–अलीगढ़ लाइन(समेकित)/13285/2015,दिनांक, लखनऊ, फरवरी 02 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : साउथ–ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 सरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन **कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/04/99/2016/एफसी/421, दि0 05.12.16

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव की प्रति इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थी। सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक–1923/14–1, दिनांक 19.01.2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा इंगित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विषयगत प्रस्ताव में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1631 / **,उक्तदिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

2– प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, एटा, अलीगढ़ एवं हाथरस।

3– जनरल मैनेजर, साउथ ईस्ट, यूपी पावर ट्रॉमिशन कम्पनी लि0, शालीमार टाइटेनियम 601 छठॉ तल प्लाट संख्या–टी0सी0/जी–1, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

2/2/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।